भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3916
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः गुजरात में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सुविधाएं

3916. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेलः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत गुजरात में सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) पीएमकेएसवाई के माध्यम से वलसाड़ में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के अंतर्गत कितनी कृषि भूमि लाई गई है;
(ग) सिंचाई अवसंरचना में वृद्धि के कारण वलसाड़ में फसल उपज और किसान आय में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और
(घ) जल-कुशल सिंचाई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए वलसाड़ में किसानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर, जल शक्ति मंत्रालय) तथा भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान में पीएमकेएसवाई के तीन घटक, अर्थात् त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी); हर खेत को पानी (एचकेकेपी) तथा वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी 2.0) हैं। राज्य में सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए पीएमकेएसवाई के तहत गुजरात राज्य में निम्नलिखित परियोजनाएं/योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

i) सरदार सरोवर परियोजना, साथ ही एआईबीपी के तहत कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन का समरूप कार्यान्वयन, जिसका कार्यान्वयन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
ii) एचकेकेपी के तहत जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) के तहत 33 योजनाएं, जिनका कार्यान्वयन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

iii) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत 51 वाटरशेड परियोजनाएं, जिनका कार्यान्वयन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

(ख) और (ग): सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों, अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना वर्ष 2015-16 से कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक, इस योजना को पीएमकेएसवाई के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 से, इस योजना को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2015-16 से अब तक गुजरात के वलसाड जिले में 6831 हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किए गए पीडीएमसी पर अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के कारण वलसाड जिले सहित राज्य के सभी जिलों में फसल की पैदावार में 25-30% तक वृद्धि हुई और किसानों की आय 15487 रुपये प्रति हेक्टेयर तक बढ़ गई।

(घ): पीडीएमसी योजना के तहत, छोटे और सीमांत किसानों और अन्य किसानों को क्रमशः इकाई लागत का 55% और 45% की दर से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गुजरात की राज्य सरकार वलसाड जिले सहित अन्य जिलों के किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अतिरिक्त टॉप-अप सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वलसाड जिले के किसानों को वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 23.37 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

***